# न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

**अपील/आरटीआई/95/2021**

प्रहलाद दत्त गर्ग तहसील के पास करबा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर।

**बनाम**

उपखण्ड अधिकारी नगर।

**अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

## आदेश

**दिनांक 14.12.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है प्रहलाद दत्त गर्ग तहसील के पास करबा नगर तहसील नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2021 उपखण्ड अधिकारी नगर से सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/740 दिनांक 26.11.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी नगर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध उपखण्ड अधिकारी नगर से उनके पत्र कमांक 1114–15 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं उपखण्ड अधिकारी नगर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी नगर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी नगर ने अपने जबाब पत्र कमांक 1114–15 दिनांक 13.12.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचनाऐं उनके कार्यालय से सबंधित न होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन तहसीलदार तहसील सीकरी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को भी सूचित कर दिया गया है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी नगर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी नगर से सम्बंधित न होने से उनके द्वारा अपीलान्ट का आवेदन धारा 6(3) के तहत तहसीलदार तहसील सीकरी को अन्तरित करते हुये पत्रांक 1113–15 दिनांक 13.12.2021 से अपीलान्ट को भी सूचित किया जा चुका है। अपीलान्ट वांछित सूचना प्राप्त करने के सबंध में तहसीलदार तहसील सीकरी ने अपने पत्रांक 1482 दिनांक 14.12.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट को पत्रांक 1423 दिनांक

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

25.11.2021 से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गई सूचना के सबंध में 6200 प्रतियॉ होती है, जिनकी राजकीय दर 2/–रू प्रति पेज की दर से कुल रकम 12400/– रू0 राजकोष जमा कराकर वाछित सूचना प्राप्त कर सकते है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त शुल्क राशि जमा राजकोष नही कराई गई है। जिस कारण अपीलान्ट को सूचना नही दी जा सकी है। उपखण्ड अधिकारी नगर के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी नगर व तहसीलदार सीकरी से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नगर/ तहसीलदार सीकरी को भी भेजी जावे।

**(हिमांशु गुप्ता)**
**जिला कलक्टर**
**भरतपुर**